अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2004

(आयकर)

का.आ. 26(अ).— आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा मुख्य आयकर आयुक्त, मुम्बई-IX, को उनके अधीनस्थ उक्त अधिनियम की धारा 2(7क) के अन्तर्गत

यथा-परिभाषित सभी अथवा किन्ही कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा साथ-साथ आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग तथा कार्यों के निष्पादन के लिए लिखित रूप में आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत करता है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 4/2004/फा. सं. 187/21/2003-आयकर नि. I]

देवी शरण सिंह, अवर सचिव